91

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 296-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-2-2008 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 718/1987-88 अपील

1- चन्द्रभान सिंह पुत्र बल्देव सिंह
2- लालजी सिंह पुत्र रामनरेश सिंह
दोनों ग्राम नष्टगवां तहसील त्योंथर
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

लालता प्रसाद उर्फ लालदास उर्फ सर्रा महाराज
पुजारी मूर्ति हनुमान जी ग्राम लटियार कुंडिया
टोला तहसील त्योंथर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज़ दिनांक 07 - 08 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 718/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नष्टगवां स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 175/809 रकबा 1.02 एकड़ स्थित है जिसके खसरे में पड़त 0.113 है देवस्थान, 0.300 है. में गढ़ी हनुमान सेवक लालदास दर्ज था। तहसीलदार

त्योंथर के समक्ष खसरा दुरूस्ती के सॅशोधन का आवेदन प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार त्योंथर ने प्रकरण कमांक 3 अ 6 अ/80-81 में पारित आदेश दिनांक 1-7-85 से खसरे के कालम नंबर 20 में गढ़ी हनुमान जी सेवक लालदास महात्मा के स्थान पर वगीचा व देवस्थान दर्ज करने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 19 अ-6-अ/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-88 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 718/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावदेक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4- आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 11-2-08 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश में अंकित किया है कि विवादित आराजी वर्ष 69-70 से 77-78 तक के खसरे में कैफियत के कालम में शिवमंगल दास का नाम अंकित है तथा विवादित आराजी पर फुलवारी, हनुमानजी शंकर जी की मूर्ति है तथा पूजा पाठ शिवमंगल महात्मा करते थे उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके चेला उत्तरवादी पूजा पाठ करता था। इस बात की पुष्टि प्रकरण में आये साक्षियों के व्दारा की गई है तथा अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर एक कुटी बनी हुई है तथा फुलवारी नहीं वगीचा कहते है तथा हनुमान जी व शंकर जी की मूर्ति विराजी है। अपर आयुक्त व्दारा आदेश के अंत में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय व्दारा विचारोपरांत निष्कर्ष निकालते हुये विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसके कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 2-7-88 में हस्तक्षेप नहीं किया है। प्रकरण की परिस्थिति को ध्यान में रखते

हुये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 11-2-08 में दिये गये निष्कर्ष सही है जिनमें हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 718/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर